

अधिसूचना

संख्या-टी-1/स्था0(6) लि0-40/2008...../भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल " बिहार प्रशिक्षण-पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 " का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1- संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।

- (1) यह नियमावली " बिहार प्रशिक्षण-पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2014 " कहली जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उक्त नियमावली 2014 का नियम 6 का उप नियम (1) निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा:-

"(1) निम्नवर्गीय लिपिकियों में से न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टर मीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष और हिन्दी तथा अंग्रेजी उद्योग का ज्ञान के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन की अर्हता अनिवार्य होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
श्रम संसाधन विभाग।

संख्या-टी-1/स्था0(6) लि0-40/2008.....1160...../प ट ना, दिनांक- 06-08-2014  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक 4 प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-1/स्था0(6) लि0-40/2008.....1160...../प ट ना, दिनांक- 06-08-2014  
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला

पदाधिकारियों/सभी प्राचार्य ITI महिला सहित/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/क्षेत्रीय उ0 नि0 प्रशिक्षण/सभी स0 नि0 प्रशिक्षण शिक्षु/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
श्रम संसाधन विभाग।